न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 10/16 **निर्णय दिनांक 06.09.2018**

1. भंवरीदेवी पत्नि चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी कंवलीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. जगमाल सिंह पुत्र नन्देसिंह जाति राजपूत निवासी कंवलीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. लिछूसिंह पुत्र खींवसिंह जाति राजपूत निवासी कंवलीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. गंगासिंह पुत्र भीख सिंह जाति राजपूत निवासी कंवलीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. नगेसिंह पुत्र मेघ सिंह जाति राजपूत निवासी कंवलीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, नोखा।
6. भंवर सिंह
7. भवानीसिंह
8. गुलाब सिंह
9. रूप सिंह

   पिसरान चन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गांव कंवलीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

10. मूल सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति राजपूत निवासी कंवलीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 28—05—2015

उपस्थितः—

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 28—05—2015 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट का वाद खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटी के तहत प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट्स को अपीलांट की खातेदारी भूमि के बेदखल करने का प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा औपचारिकता पूर्ण करते हुए बिना शहादत, तनकीयात कायम किये बगैर मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट का वाद खारिज किया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 स्पष्ट रूप से खातेदारों को उनकी भूमि पर नियम विरूद्व काबिज/अतिक्रमी व्यक्तियों को बेदखली हेतु बनाई गई है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय में रेस्पोडेन्ट को अपीलांट की भूमि पर बिना किसी अधिकार के आवासीय उपयोग हेतु बिना किसी सहमति व बिना भूमि के स्वरूप परिवर्तन के काबिज होना माना है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे।

जबकि प्रकरण में यह निर्विवाद था कि अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम कंवलीसर तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 446 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 447 मीन रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.55 हेक्टर कुल किता 3 रकबा 1.19 हेक्टर भूमि बाबत् बेदखली का प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत का यह कहना कि उक्त भूमि कृषि उपयोग की नहीं है जबकि राजस्व रिकार्ड से यह साबित है कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार कृषि भूमि है। अदालत मातहत द्वारा इसके विपरीत यह कथन

करते हुए कि रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर प्रवेश वादीगण/अपीलांट की सहमति से हुआ है व प्रकरण सिविल नेचर का है ऐसी स्थिति में वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आरटीए के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज किया जाता है।

अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व यह तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि अपीलांट/वादी द्वारा धारा 183 आरटीए के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत वादगत् पर नियमानुसार साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व वादपत्र के अनुसरण में तनकीयात कायम करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करते।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हिुए आदेश जैर अपील राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित लोक अदालत के शिवरों के संबंध में पारित निर्देशों के विरूद्व केवल मात्र अपने आकड़ें बढ़ाने मात्र के उद्वेश्य से पारित किया गया है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत है। लोक अदालत के तहत ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाता है जिसमें सभी पक्षकारों के बीच आपसी सहमति हो। जबकि प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि प्रकरण में विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स के पक्के मकान बने हुए है। उक्त भूमि पर भूखण्ड पक्षकारों की आपसी सहमति से बने हुए है तथा रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि पर काबिज है। अपीलांट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से व वादगत् भूमि से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करने के नियत मात्र से अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अदालत माहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से वादगत् भूमि के बाबत् मौके की यथास्थिति के संबंध में

रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में संबंधित तहसीलदार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के मकानात् बने हुए है जिससे प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण का वादगत् भूमि पर प्रवेश पूर्व से ही चला आ रहा है ऐसी स्थिति में धारा 183 आरटीए में प्रवेश/बेदखल बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा/डिक्री प्रभावी नहीं हो पायेगी तथा निवास तथा प्रवेश पूर्व से ही वादी द्वारा वादपत्र स्वीकार किये जाने से प्रकरण सिविल नेचर में कवर होता है।

अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में संबंधित तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह मानते हुए कि प्रकरण वस्तुतः सिविल नेचर का है अपीलांट का वादपत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रकरण सिविल नेचर का है तथा अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट/वादीगण वादगत् भूमि के बाबत् अनुतोष प्राप्त करने हेतु सिविल न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को आदेश जैर अपील के अनुसरण में वादगत् भूमि के बाबत् सिविल न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अन्तर्गत धारा 183 आरटीए के तहत प्रस्तुत वादगत् को क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुए खारिज किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट्स को अपीलांट की खातेदारी भूमि के

बेदखल करने का प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा औपचारिकता पूर्ण करते हुए बिना शहादत, तनकीयात कायम किये बगैर मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट का वाद खारिज किया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 स्पष्ट रूप से खातेदारों को उनकी भूमि पर नियम विरूद्व काबिज/अतिक्रमी व्यक्तियों को बेदखली हेतु बनाई गई है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय में रेस्पोडेन्ट को अपीलांट की भूमि पर बिना किसी अधिकार के आवासीय उपयोग हेतु बिना किसी सहमति व बिना भूमि के स्वरूप परिवर्तन के काबिज होना माना है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे।

(3) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के मकानात् बने हुए है जिससे प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण का वादगत् भूमि पर प्रवेश पूर्व से ही चला आ रहा है ऐसी स्थिति में धारा 183 आरटीए में प्रवेश/बेदखल बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा/डिक्री प्रभावी नहीं हो पायेगी तथा निवास तथा प्रवेश पूर्व से ही वादी द्वारा वादपत्र स्वीकार किये जाने से प्रकरण सिविल नेचर में कवर होता है।

(4) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 183 आरटीए के तहत वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालया द्वारा संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अभिलिखित किया गया है कि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट के पक्के मकानात् बने हुए है व उक्त मकानात् अपीलांट/वादीगण की सहमति से बनाये गये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में राजस्व न्यायालय से संबंधित नहीं होकर सिविल नेचर का है। प्रकरण में इस तथ्य को अपीलांट द्वारा भी इंकार नहीं किया गया है।

ऐसी स्थिति में अपीलांट को वादगत् भूमि से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करने हेतु नियमानुसार सिविल न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए थी। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा दिनांक 28—05—2015 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर